



2026:AHC:126080

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 19607/2026

आबिद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: चन्द्र नाथ भट्ट

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- वर्तमान आवेदन आवेदक को सत्र परीक्षण सं० 634/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आबिद), मु.अ.सं० 72 सन् 2013, अन्तर्गत धारा 307, 420, 467, 468, 471, 411 एवं 414 आई.पी.सी., थाना- सैदनगली, जिला- अमरोहा में, विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है तथा आरोप पूर्णतः असत्य एवं निराधार हैं। आर्थिक तंगी एवं जीविकोपार्जन के अभाव के कारण आवेदक अपनी पत्नी एवं पुत्र सहित रोजगार हेतु दिल्ली चला गया था, जिससे वह दि० 25.04.2018 को विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न ही स्थगन आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत करा सका। परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने दि० 25.04.2018 को गैर-जमानती वारंट जारी किया। आर्थिक विपन्नता के कारण आवेदक दिल्ली में ही रहा और उसे न कोई समन मिला न कोई सूचना, जिससे वह कार्यवाही से अनभिज्ञ रहा। उसमें न कोई दुर्भावना थी न जानबूझकर की गई लापरवाही। जानकारी होते ही आवेदक ने दि० 16.04.2026 को आत्मसमर्पण किया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उसका जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया। आवेदक का एक अन्य प्रकरण, मु.अ.सं० 73 सन् 2013, अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम, थाना- सैदनगली, जिला- अमरोहा में विचाराधीन है। आवेदक विधि-पालक व्यक्ति है, उसके फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक दि० 16.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक लम्बी अवधि तक फरार रहा तथा विधि की प्रक्रिया से जानबूझकर बचता रहा। यह बताया जाता है कि 25.04.2018 को गैर-जमानती वारंट जारी होने और उसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के बावजूद, आवेदक संबंधित अदालत के सामने पेश होने में नाकाम रहा। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आरोपों की प्रकृति, अनुपस्थिति के आचरण तथा सहयोग न करने की सम्भावना को देखते हुए जमानत का कोई मामला नहीं बनता। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

5. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने, रिकॉर्ड देखने और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, विचारण न्यायालय के सामने पेश न होने के बारे में आवेदक के स्पष्टीकरण, उसके द्वारा काटी गई जेल की अवधि, इस तथ्य कि आवेदक ने संबंधित कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और 16.04.2026 से न्यायिक हिरासत में है, पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है।

6. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



7. अभियुक्त-आवेदक **आबिद**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाये:-

1. आवेदक रिहाई के पश्चात संबंधित न्यायालय में विचारण की नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा तथा सहयोग करेगा।
2. आवेदक साक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
3. आवेदक जमानत अवधि में किसी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

8. प्रतिभुओं की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जायेगा। शर्तों के उल्लंघन की दशा में अवर न्यायालय जमानत निरस्त कर आवेदक को कारागार भेजने हेतु स्वतंत्र होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश की टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं तथा मामले के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।